

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/सैटअप परिवर्तन/2018 दिनांक:- 06/07/19
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में स्थानान्तरित शिक्षक
(कार्यमुक्त नहीं) को स्टॉफिंग पैटर्न से पृथक रखने के सम्बन्ध में ।

उपयुक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके आदेश शिविरा/प्रारं/शिक्षक/
संस्थापन/एफ-6/वो.2/2019 दिनांक 03/06/19 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा में
कार्यरत शिक्षकों के जिले की वरिष्ठता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में सुपुर्द कर उनका
स्थानान्तरण माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय के
आदेश एवं अन्य विभिन्न कारणों से जो शिक्षक अभी तक कार्यमुक्त नहीं हुए हैं। उनका
विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में ही प्रदर्शित हो रहा है।

अतः प्रारम्भिक शिक्षा में किये जा रहे स्टॉफिंग पैटर्न में इन शिक्षकों को
अलग रखते हुए अधिशेष की कार्यवाही कर प्रारम्भिक शिक्षा में स्टॉफिंग पैटर्न करवना
उचित रहेगा।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।